भारत सरकार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 534

उत्तर देने की तारीख 02 दिसम्बर, 2015

रेडियोधर्मी मानक

534. श्री गोकाराजू गंगा राजूः श्री छोटेलालः श्री प्रतापराव जाधवः श्रीमती रक्षाताई खाडसेः श्री प्रह्लाद जोशीः श्रीमती संकुतला लागुरीः श्री अनूप मिश्राः श्री कंवर सिंह तंवरः श्री हरीश मीनाः श्री रामसिंह राठवाः श्री दुष्यंत चौटालाः श्रीमती रंजनबेन भट्टः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले रेडियोधर्मी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए वृहद क्षेत्र में एक मोबाइल टावर द्वारा ज्यादा दूरी तक मोबाइल सेवाएं प्रदान करने वाले विशेष रूप से निजी कंपनियों द्वारा रेडियोधर्मी मानदंड की सावधिक जांच करने हेतु कड़ाई से पालन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम प्रस्तावित किए गए हैं;

(ग) क्या निगरानी एजेन्सियां 30 टेलीकॉम प्रवर्तन और संसाधन निगरानी प्रकोष्ठों में से किसी भी मोबाइल टॉवर के इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन की जांच के लिए पूर्णतः सुसज्जित नहीं है और मोबाइल संचालन कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर अत्यधिक निर्भर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ईएमआर के विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए निगरानी एजेन्सियों को सुसज्जित करने के लिए और प्रशिक्षित व्यावसायियों को इसमें लगाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) और (ख): जी, हां। दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन और अनुश्रवण केन्द्र (टीईआरएम) का एक प्रमुख कार्य सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मोबाइल बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) के उन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ईएमएफ प्रभाव मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन करना है जो दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

जारी.....2/-

इन संबंध में टर्म प्रकोष्ठ आम जनता सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर बीटीएस का परीक्षण करने के अलावा ईएमएफ विकिरण प्रभाव मानदंडों की पुनः जांच करने के लिए प्रति वर्ष रैण्डम आधार पर बीटीएस की 10 प्रतिशत तक जांच करता है।

उपर्युक्त के अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में सभी बीटीएस का ईएमएफ विकिरण स्तर अनुमत्य सीमा के अन्दर हो, दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उन सभी बीटीएस का स्व-प्रमाण पत्र द्वि-वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करने को कहा है जिनके बारे में ईएमएफ विकिरण मानदंडों संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा नए बीटीएस के व्यावसायिक विकिरण के साथ-साथ मौजूदा बीटीएस के स्तरोन्नयन से पहले स्व-प्रमाण पत्र जमा करना भी अपेक्षित है।

दिनांक 30.09.2015 की स्थिति के अनुसार विभिन्न टर्म प्रकोष्ठों द्वारा कुल 2,33,035 बीटीएस का परीक्षण किया गया है जिनमें से 186 बीटीएस ईएमएफ विकिरण मानदंडों का अनुपालन करने में विफल पाए गए हैं। इन उल्लंघनों के आधार पर चूककर्ता दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध यथा निर्धारित उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

टर्म प्रकोष्ठ, दूरसंचार विभाग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षण के दौरान विफल पाए गए बीटीएस के लिए चूककर्ता दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर 10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाता है जो विकिरण स्तरों को निर्धारित सीमा में रखने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए एक निरोधक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यदि बीटीएस/साझाकृत बीटीएस स्थल एक माह (30 दिन) के भीतर ईएमएफ विकिरण मानदंडों का अनुपालन करता हुआ नहीं पाया जाता है तो उस स्थल को ऊपर उल्लिखित अर्थदंड लगाने के अलावा बंद कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ): जी, नहीं। ईएमएफ विकिरण मानदंडों के अनुपालन की पुनः जांच करने के लिए ईएमएफ विकिरण के मापन से संबंधित सभी परीक्षण टर्म प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा स्वयं किए जाते हैं और इसके लिए मापन डाटा प्रदान करने हेतु वे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर निर्भर नहीं हैं।

(ङ): मोबाइल बीटीएस स्थलों का परीक्षण देश में स्थित विभिन्न टर्म प्रकोष्ठों में तैनात उपयुक्त तकनीकी अर्हता प्राप्त कर्मियों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, टर्म प्रकोष्ठों को सुसज्जित बनाने के लिए यह उल्लेख है कि ईएमएफ स्ट्रेन्थ मापन यंत्रों और अन्य उपकरणों का प्रापण करने के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है तथा प्रापण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

****